कार्यालय केंद्रीय नजारत, जनपद न्यायालय फर्रूखाबाद।

नोटिस

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांकित 23.07.2024 के अनुपालन में बाह्य न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), कायमगंज, जिला फर्रूखाबाद में स्थापित 7.5 के.वी.ए. जनरेटर Koel Jakson की सर्विस/ मरम्मत कराये जाने हेतु टेण्डर/ कोटेशन आमंत्रित किये गये हैं । केंद्रीय नाजिर की आख्या के अनुसार कार्यालय केंद्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, फर्रूखाबाद के नोटिस दिनांकित 24.07.2024 के परिप्रेक्ष्य में बाह्य न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), कायमगंज, जिला फर्रूखाबाद में स्थापित 7.5 के.वी.ए. जनरेटर Koel Jakson की सर्विस/ मरम्मत कराये जाने हेतु कोई भी टेण्डर/ कोटेशन नजारत अनुभाग में प्राप्त नही हुआ है। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुनः टेण्डर / कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इच्छुक फर्म/ दुकानदार बाह्य न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), कायमगंज, जिला-फर्रूखाबाद के सहायक नाजिर से समन्वय स्थापित करने के उपरांत 7.5 के.वी.ए. जनरेटर Koel Jakson के भौतिक निरीक्षण के पश्चात जनरेटर में किये जाने वाले कार्यों का उल्लेख अपने-अपने टेण्डर/ कोटेशन में करके केन्द्रीय नजारत में जरिये डाक/ई-मेल द्वारा अथवा कार्यालय केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय फर्रूखाबाद में केन्द्रीय नाजिर को दिनांक 07.08.2024 को सांय 04.30 बजे तक प्राप्त करा सकते हैं।

दिनांकः- 30.07.2024

(हस्ताक्षर) 30/7/24

(शैलेन्द्र सचान)
प्रभारी अधिकारी नजारत/
विशेष न्यायाधीश (आ0व0अधि0),
जनपद न्यायालय फर्रूखाबाद।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः –

1- प्रभारी अधिकारी नजारत को सूचनार्थ।

2- जिला न्यायालय, फर्रूखाबाद के नजारत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

3- कलेक्ट्रेट नजारत, फतेहगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

4- नगर पालिका परिषद, फतेहगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

5- जिला पंचायत, फतेहगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

6- जिला सूचना अधिकारी, फतेहगढ़ को निःशुल्क समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।

7- नोडल अधिकारी कम्प्यूटर्स, जनपद न्यायालय फर्रूखाबाद को स्थानीय एवं माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

8- बाह्य न्यायालय, कायमगंज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु तथा सहायक नाजिर को अनुपालनार्थ प्रेषित।

9-शासनादेश सं0 562/19-02-2007-1007/74 (T.C.) dated 04 July 2007 के सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या 1607/Admin. (B-V) Section: Allahabad Dated May 10, 2024 के निर्देशानुसार निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रेषित की जाये।

दिनांकः- 30.07.2024

(हस्ताक्षर) 30/7/24

(शैलेन्द्र सचान)
प्रभारी अधिकारी नजारत/
विशेष न्यायाधीश (आ0व0अधि0),
जनपद न्यायालय फर्रूखाबाद।

Office to comply
(हस्ताक्षर)
MO